संख्या- 50/1145/30-3-14-19बी/2012

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 24 जुलाई, 2014

विषय- सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बिजनौर के भवन निर्माण के पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35नजा0/2014-233ए/2011, दिनॉक 24-04-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बिजनौर के अनावासीय भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2619/30-3-2012-19बी/2012, दिनॉक 20-11-2012 द्वारा प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि रू0 141.27 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस प्रयोजन हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू0 56.50 लाख (रू0 छप्पन लाख पचास हजार मात्र) तथा शासनादेश संख्या-857/30-3-2013-19बी/2012, दिनॉक 21-03-2013 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि रू0 84.77 लाख (रू0 चौरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) अवमुक्त की गयी है।

2- प्रश्नगत निर्माणाधीन भवन में बाह्य विद्युत संयोजन के लिये विद्युत विभाग, बिजनौर के पत्र संख्या-एलएन-1427/ईडीडीबी/आर, दिनॉक 10-07-2013 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर उक्त निर्माणाधीन भवन के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 143.90 लाख (रू0 एक करोड़ तैंतालीस लाख नब्बे हजार मात्र) के पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा ऑकलित धनराशि रू0 143.56 लाख (रू0 एक करोड़ तैंतालीस लाख छप्पन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही अवशेष धनराशि रू0 2.29 लाख (रू0 दो लाख उन्तीस हजार मात्र) अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करा लिया जायेगा। साथ ही विशिष्टियों, मानक एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। सम्बन्धित सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी समय-समय पर कार्य का निरीक्षण करते रहेंगे व सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, यह भी आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-270/दस-2014, दिनॉक 24 जुलाई, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-50/1145(1)/तीस-3-2014, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बिजनौर।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://sinasanadesh.up.nic.in